

न्यायालय अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - नरेश बुनकर, RAS

अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 02/2022
रजिस्ट्रेशन संख्या : 2022/06

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

श्री ताजु पिता थावरा जाति भील
निवासी उदयगढ निष्ठावट तहसील
कुशलगढ जिला बाँसवाडा।

अप्रार्थी/रेस्पोंडेंट्स:-

1. श्री देवा पिता श्री मडिया जाति भील
निवासी उदयगढ, निष्ठावट, बडवास छोटी
तहसील कुशलगढ जिला बाँसवाडा।
2. भूमिधारी तहसीलदार तहसील कुशलगढ
जिला बाँसवाडा

श्री जयेन्द्र कुमार पुरोहित, एडवोकेट

उपरिस्थित

श्री मनिष त्रिवेदी, एडवोकेट
श्री भूपेन्द्र जैन, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भूराजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970


दिनांक :- 22-11-2022

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 30-08-1972 को आवंटन सलाहकार समिति की सर्व सम्मति से उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ, जिला बाँसवाडा ने श्री श्री देवा पिता श्री मडिया जाति भील निवासी ग्राम उदयगढ निष्ठावट, बडवास छोटी, तहसील कुशलगढ को ग्राम उदयगढ निष्ठावट पटवार हल्का बडवास छोटी तहसील कुशलगढ जिला बाँसवाडा के साविक सर्वे नंबर 2 रकबा 3 एकड भूमि का आवंटन किया गया। इस आवंटन से व्यथित होकर प्रार्थी ने आवंटन नियम, 1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया।

अप्रार्थी सं 1 की ओर से दिनांक 16-05-2022 को श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड, श्री मनिष त्रिवेदी

अभिभाषक का वकील पत्र पेश हुआ एवं दिनांक 14.06.2022 को अप्रार्थी सं.1 की ओर से



(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा



26.07.2022 को अप्रार्थी सं. 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित किया गया कि अप्रार्थी के हक में दिनांक 30.08.1972 को आवंटन किया गया है जिसका नामान्तरकरण अप्रार्थी के नाम दर्ज हो चुका है, अप्रार्थी काबिज होकर काशत कर रहा है एवं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र की समयावधि समाप्त हो चुकी है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 50 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है जो काफी लम्बे अन्तराल के बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर निरस्ती योग्य है।

अप्रार्थी सं. 2 की ओर से दिनांक 26.07.2022 को जवाब प्रस्तुत हुआ तथा दिनांक 18.10.2022 को संशोधित जवाब प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से जवाब में उल्लेखित किया गया कि अप्रार्थी देवा पिता मडिया वगैरा भील को राजस्व ग्राम उदयगढ निश्नावट में एलोटमेन्ट आदेश संख्या 4505 दिनांक 14.12.1972 से खसरा न. 2/3 रकबा 3 एकड का आवंटन हुआ तथा नामान्तरण संख्या 28 दिनांक 29.04.75 से नया खसरा न. 97/2 में गैर खातेदार दर्ज हुआ था नामान्तरण संख्या 67 दिनांक 13.01.1983 से खातेदारी हक प्राप्त हुआ है। शेष अन्य भूमि पर प्रार्थी ताजु पिता थावरा वगैरा का कब्जा होकर काशत कर रहे हैं एवं लगभग 0.50 है० भूमि पडत पडी हुई है।

दिनांक 04.10.2022 को दोनो पक्षों की बहस एवं दिनांक 07.11.2022 को पुनः बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी को उक्त आवंटन के संबंध में जानकारी अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थी की भूमि में अतिक्रमण करने से एवं राजस्व अभिलेख की

प्रमाणित प्रतियां दिनांक 06.10.2020 को प्राप्त होने पर जानकारी होने से कि अप्रार्थी संख्या 1 ने




(नरेश चुनकर)
अतिरिक्त जिला बरकरदार, बंसावाड़ा




अवैध रूप से उपरोक्त कृषि भूमि का आवंटन अपने नाम करा लिया जिस पर यह प्रार्थनापत्र आवंटन निरस्त हेतु लाना आवश्यक हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 देवा पिता मडिया वगैरा भील ने साविक सर्वे नंबर 2 रकबा 3 एकड वाके ग्राम उदयगढ निजावट पटवार हल्का बडवास छोटी तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा में स्थित है, का आवंटन दिनांक 30.08.1972 के द्वारा अपने परिवार के सदस्य श्री वज्जा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बडवास छोटी के पद पर रहते हुये संवैधानिक पद व पावर का दुरुपयोग करते हुए उपरोक्त भूमि का आवंटन अपने रिश्तेदार अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी करवा दिया तथा उपरोक्त साविक सर्वे नंबर 2 की अन्य भूमि का आवंटन तात्कालीन सरपंच श्री वज्जा के द्वारा अपने पुत्र श्री सेवला पिता वज्जा व श्री विजयसिंह पिता मडिया के हक में आवंटन जारी करवा दिया जबकि साविक सर्वे नंबर 2 की भूमि पर करीब 100 वर्षों से प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं प्रार्थी और उसके परिवार के सदस्यों के मकानात बने हुये है। जहां वह परिवार के साथ स्थाई रूप से निवास कर रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 को पेपर एलोटमेन्ट हुआ है तथा अपने रिश्तेदार के सरपंच पद पर कार्यरत होने के दौरान कपटपूर्वक दुर्योपेदशन के द्वारा नियमों के विरुद्ध अपने हक में करवाया है। साविक सर्वे नम्बर 2 पर प्रार्थी का अपने पूर्वजों के समय से आधिपत्य चला आ रहा है। उपरोक्त साविक सर्वे नंबर 2 से लगता हुआ सर्वे नंबर 3 व 4 की कृषि भूमि प्रार्थी व उसके परिवारों के सदस्य के नाम खातेदारी में दर्ज है। जिसका खाता संख्या 23 नया, 19 पुराना जमाबन्दी 2071-2074 के राजस्व अभिलेख में दर्ज इन्द्राज है। प्रार्थी का साविक सर्वे नंबर 2 की भूमि पर नियमित व निर्बाध रूप से आधिपत्य चला आ रहा है जब अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 3 व 4 में अतिक्रमण करने पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के

विरुद्ध श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी न्यायालय कुशलगढ में राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा हेतु



Division 75 I.R. act ADM (2020)


(नरेन्द्र बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,



प्रस्तुत किया है जो माननीय न्यायालय में विचारणीय है। उक्त वाद कार्यवाही के दौरान प्रार्थी के द्वारा सर्वे नम्बर 2 की भूमि के संबंध में राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने पर प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अवैध रूप से उक्त भूमि का आवंटन अपने नाम से दर्ज करवा लिया जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थी का आधिपत्य होने से एवं अत्यधिक परिश्रम कर उपरोक्त भूमि को उपजाऊ बनाने से उसने द्वारा उपरोक्त भूमि का आवंटन कराने हेतु आवंटन कार्यवाही का इन्तजार करता रहा लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा बिना किसी आवंटन कार्यवाही एवं प्रक्रिया के नियमों के विरुद्ध अपने परिवार के सदस्य श्री वज्जा के सरपंच पद पर रहते हुये उक्त आवंटन अपने नाम करवाया। अप्रार्थी संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि का आवंटन करने के पूर्व आवंटनी के द्वारा नियम 7 के तहत आवंटन की पात्रता रखने वाले व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित नहीं किये जो उक्त आवेदन का प्रारूप धारा 61 भू-राजस्व अभिनियम में दी गई शीति के अनुसार प्रारूप 2 होता है तथा उपरोक्त आवेदन आमंत्रित करने के पूर्व आवंटनी अधिकारी के द्वारा उद्घोषणा जारी नहीं की गई जो 15 दिन की अवधि के लिए ऐसी उद्घोषणा जारी होती है जो उस उद्घोषणा की तारीख से 15 दिन में आवेदन प्रस्तुत करना होता है परन्तु आवंटन अधिकारी के द्वारा ऐसी किसी प्रकार की प्रक्रिया अनुसरण नहीं किया गया है। यदि आवंटन अधिकारी के द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया का अनुसरण किया गया होता तो प्रार्थी को उपरोक्त भूमि के आवंटन के लिये आवेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होता परन्तु श्री वज्जा द्वारा अपने रिश्तेदार अप्रार्थी संख्या 1 को अनुचित लाभ दिलाने के आशय से यह आवंटन अपने नाम करवाया है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 2014(2) RRT 797 Board

of Revenue For Rajasthan, Ajmer Ramprasad vs. State of Rajasthan & Anr.

प्रस्तुत किया। आवंटन में नियम 13 के तहत आवंटन सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया





(नरेश कुमार)
अतिरिक्त सहायक

और न ही उक्त नियम के अन्तर्गत समिति के सदस्य उपस्थित रहे। उक्त आवंटन में नियमानुसार कार्यवाही पारित नहीं कर केवल बैठक द्वारा उक्त आवंटन जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा कभी भी काश्त नहीं की गई है और न ही आवंटन के नियमों की पालना की है। आवंटन की शर्तों को भंग किया है तथा नामान्तरकरण संख्या 67 दिनांक 13.01.1983 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को बिना कब्जे काश्त के एवं शर्तों की पालना किये बिना जो खातेदार अधिकार दे दिये हैं, वह निष्प्रभावी व शून्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 के आवंटन दिनांक 30.08.1972 बाबत् कृषि भूमि साबिक सर्वे नंबर 2 रकबा 3 एकड़ लगान 2.55 रूपया जिसका हाल सर्वे नंबर 97/2 रकबा 1.2141 हैक्टेयर लगान 1.03 रूपया वाके ग्राम उदयगढ निष्ठावट पटवार हल्का बडवास छोटी तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा में स्थित है के संबंध में निरस्त करना फरामावे एवं अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज अवैध इन्द्राज निरस्त करने श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार कुशलगढ को आदेश प्रदान करें। साथ ही उपरोक्त कृषि भूमि का विधिवत् आवंटन प्रार्थी के हक में करने हेतु आदेश प्रदान करें।

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी को समस्त तथ्य पूर्ण रूप से दिनांक 30.08.1972 से जानकारी में होने के कारण प्रार्थी ने प्रश्नगत आवंटन को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी और अब 50 वर्ष पश्चात् एव अप्रार्थी को खातेदार अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो अवधिपार होने से निरस्त योग्य है। अप्रार्थी के हक में दिनांक 30.08.1972 को आवंटन किया गया है जिसका नामान्तरकरण अप्रार्थी के नाम दर्ज हो चुका है, अप्रार्थी काविज होकर काश्त कर रहा है एवं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है।

अप्रार्थी ने विधिवत नियमानुसार आवंटन हेतु आवेदन किया है जिस पर उपखण्ड अधिकारी,




(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा

कुशलगढ जिला बॉसवाडा के आदेश क्रमांक 2501 दिनांक 30.08.1972 द्वारा आवंटन हुआ है। अप्रार्थी के गैर खातेदारी में दर्ज होकर विधिवत खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है तथा अप्रार्थी राज्य सरकार में लगान अदा कर रहा है। अप्रार्थी सं. 1 का स्वामित्व व स्वत्व प्रश्नगत कृषि भूमि में विद्यमान है जिस कारण धारा 14(4) का नियम लागू नहीं होने से प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है।


राजकीय अधिवक्ता ने तहसीलदार कुशलगढ द्वारा प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दौराते हुए बहस में कथन किया कि अप्रार्थी देवा पिता मडिया वगैरा भील को राजरव ग्राम उदयगढ निश्नावट में एलोटमेन्ट आदेश संख्या 4505 दिनांक 14.12.1972 से खसरा न. 2 रकबा 03 एकड का आवंटन हुआ तथा नागान्तरण संख्या 28 दिनांक 29.04.75 से नया खसरा न. 97/2 में गैर खातेदार दर्ज हुआ था नागान्तरण संख्या 67 दिनांक 13.01.1983 से खातेदारी हक प्राप्त हुआ है। शेष अन्य भूमि पर प्रार्थी ताजु पिता थावरा वगैरा का कब्जा होकर काश्त कर रहे है एवं लगभग 0.50 है० भूमि पडत पडी हुई है।

प्रार्थना पत्र जहां तक म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहुँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। विलम्ब को क्षम्य करते हुए प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करने के विनिश्चय के पश्चात् उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखो का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। आवंटन नियम, 1970 के नियम 14 (4) के अनुसार यदि आवंटी ने धोखा देकर/कपटपूर्वक एवं गलत तथ्य प्रस्तुत कर आवंटन कराया हो तो उसे निरस्त किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में

प्रार्थी ने ऐसा कोई दरतावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो कि आवंटी ने ऐसा





(नरेज बहनकर)
जयविक्रम जिला कलेक्टर, बॉसवाडा


किया हो। प्रार्थी का यह कथन कि उसका वर्षों से कब्जा है एवं अभी भी उसी का कब्जा है, इस आधार पर भी आवंटन निरस्त करने निवेदन किया है। वादग्रस्त भूमि पर अभी भी कब्जा प्रार्थी का है, या नहीं ? इसका निर्धारण करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है एवं आवंटन गलत तथ्यों के आधार पर कराया हो ऐसा प्रमाणित नहीं होने के कारण अब आवंटन को निरस्त किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों की रोशनी में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4)

निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22-11-2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।




(नुरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा